12.8.11

# कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 06.08.2011 को किए गए जिला नीलाम पत्र शाखा का निरीक्षण टिप्पणी :-

► **परिचय :-**

जिला नीलाम पत्र शाखा, मुंगेर के प्रभार में डॉ0 मो0 आजाद शहाबुद्दीन, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर हैं। इस शाखा में वर्तमान में श्री सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा, प्रधान लिपिक (सेवानिवृर्त्ति के उपरान्त), श्री श्याम लाल तांती, प्रधान लिपिक, श्री विजय कुमार मंडल, लिपिक कार्यरत् हैं।

► **निरीक्षण सं0-01 :-**

जिला नीलाम पत्र शाखा में संधारित कुल वादों की संख्या 1042 है जिसमें सन्निहित राशि 20,02,30,000 (बीस करोड़ दो लाख तीस हजार) लगभग होता है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अचंल कार्यालय में कुल लंबित वादों की संख्या बरियारपुर एवं खड़गपुर को छोड़कर 5454 है जिसमें 10,96,56,000 (दस करोड़ छियानवे लाख छप्पन हजार) रू0 की राशि सन्निहित है। इस प्रकार जिला नीलाम पत्र शाखा, अनुमंडल एवं अंचलों में लंबित कुल समीचीन वसूलनीय राशि लगभग 31 करोड़ रू0 है जिसके विरूद्ध 25 लाख रू0 से भी कम की वसूली इस वर्ष हुई है जो कि 01 प्रतिशत भी नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि नीलाम पत्र वादों का निष्पादन सभी शक्ति प्रदत्त पदाधिकारियों द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट होता है कि नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लिए कोई भी न्यायालय नहीं है एवं सभी वरीय उप समाहर्त्ता, जिन्हें नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है, एक ही कमरे में लगभग साथ-साथ बैठते हैं। अतः मुख्य राजस्व भवन में खोले गये कमरे में एक अतिरिक्त न्यायालय हेतु सुसज्जिकरण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर सुनिश्चित करायेंगे जो अपर समाहर्त्ता, मुंगेर की देख-रेख में होगा ताकि सभी शक्ति प्रदत्त नीलाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय ससमय चल सके। उक्त न्यायालय का उपयोग अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं अन्य नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाय।

पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अपने संबंधित अंचल में सप्ताह में एक दिन न्यायालय अवश्य करेंगे, किन्तु कार्यालय द्वारा सूचना दी गयी है कि संबंधित वरीय उप समाहर्त्ता (जिन्हें नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है) न्यायालय कार्य नहीं कर रहे हैं। निदेश दिया गया कि पूर्व में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन जिला नीलाम पत्र शाखा, मुंगेर को उपलब्ध कराया जाय।

तारापुर अंचल से संबंधित नीलाम पत्र वादों का निपटारा अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर के न्यायालय द्वारा ही किया जाय।

► **निरीक्षण सं0-02 :-**

निरीक्षण के क्रम में स्पष्टतः सभी अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदन में समानता प्रतीत नहीं होता है। कुछ अंचलों द्वारा लंबित नीलाम पत्र वादों की संख्या एवं सन्निहित राशि काफी अधिक बतायी जा रही है जबकि कुछ अन्य कार्यालयों, यथा- असरगंज अंचल एवं खड़गपुर अनुमंडल द्वारा बहुत कम राशि प्रतिवेदित की गयी है। संबंधित वरीय उप समाहर्त्ता स्वयं इस तथ्य की भली-भाँति जांच कर आश्वस्त होंगे कि उक्त प्रतिवेदन सत्य है अथवा नहीं। असरगंज अंचल के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर एवं वरीय उप समाहर्त्ता प्रभारी, असरगंज जांच कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि क्या असरगंज से संबंधित नीलाम पत्र वादों का अभिलेख अभी भी तारापुर अंचल में ही है। यदि ऐसा होता है तो उनकी सूची तैयार कर संबंधित अभिलेख असरगंज अंचल को एक माह के भीतर हस्तानान्तरित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

► **निरीक्षण सं0-03 :-**

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभिलेखों को रखने हेतु आलमीरा की कमी है एवं यत्र-तत्र स्थानों पर अभिलेखों को रखा गया है। अतएव नजारत उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वाद संबंधी अभिलेख को रखने हेतु स्टील का Open Rack क्रय किया जाय।

► **निरीक्षण सं0-04 :-**

नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम जिला नीलाम पत्र शाखा के कर्मियों का नाम पट्टिका बनवाना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त समाहरणालय के सभी शाखाओं के कर्मियों का नाम पट्टिका दो सप्ताह के अन्दर बनवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ह0/- 20/08/11

**जिला पदाधिकारी,**
**मुंगेर।**

ज्ञापांक 2130 /गो0, दिनांक 20/08/2011

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता, जिला नीलाम पत्र शाखा, मुंगेर/नजारत उप समाहर्त्ता, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20/08/11

**जिला पदाधिकारी,**
**मुंगेर।**

ज्ञापांक 2130 /गो0, दिनांक 20/08/2011

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/08/11

**जिला पदाधिकारी,**
**मुंगेर।**